न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
13/02/2013	2013/00019	08.11.2013	30.06.2025

1. पंचायत समिति राजगढ़ तहसील राजगढ़ जरिये विकास अधिकारी पं.स. राजगढ़।

——निगरानीकार

बनाम

1. गिर्राज प्रसाद पुत्र श्री श्रवण सिंह जाति बडवा राजपूत निवासी श्रीनगर तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0।
2. ग्राम पंचायत अलेई पं.स. राजगढ़ जरिये सचिव/सरपंच।

——गैरनिगरानीकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97(1) राज0 पंचायती राज0 अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत अलेई दिनांक 20.04.2004 पट्टा संख्या 589

उपस्थितः—

01. श्री के.के. मीणा — वकील निगरानीकार

—:: निर्णय ::—

निगरानीकार द्वारा निगरानी अन्तर्गत धारा 97(1) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत अलेई दिनांक 20.04.2004 पट्टा संख्या 589 से व्यथित होकर पेश की है। निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि दिनांक 20.04.2004 को गैरनिगरानीकार संख्या दो ने गैरनिगरानीकार संख्या एक के हक में आबादी भूमि का पट्टा दिनांक 20.04.2004 का उसके हक मे भूमि का पट्टा दिये जाने बाबत आदेश पारित किया यह आदेश मे ना तो कोई पटटे मे प्लाट की पैमाईश दर्ज की गई और ना हि उसका कोई क्षेत्रफल अंकित किया तथा इस बाबत शुल्क तौर पर गैरनिगरानीकार संख्या एक से 200 रूपये वसूल किये गये तथा उक्त राशि पंचायत कोष में जमा कराई गई है।

उपयुक्त वर्णित पट्टा जारी करते समय गैरनिगरानीकार संख्या दो ने ना तो केवल पंचायत अधिनियम के अहम प्रावधानो की अनदेखी की है बल्के विधि के सामान्य सिद्धांतो का भी पालना नहीं की है। गैरनिगरानीकार संख्या 2 ने जहां पट्टे जारी किये गये ना हि किसी भी प्रकार की उजदारी, नोटिस, मौका निरिक्षण रिपोर्ट, हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पंचायत के फैसले रिपोर्ट नहीं पाई, जबकि गैरनिगरानीकार संख्या दो ने खसरा नम्बर 16 व 29 वन विभाग की भूमि है। जिसका पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को कतेई नही था।?

ग्राम पंचायत को पंचायत अधिनियम में आबादी में ही पट्टा जारी किया जाना चाहिये था लेकिन ग्रामपंचायत द्वारा गलत प्रकार से वन विभाग की भूमि मे गैरनिगरानीकर्ता संख्या एक के हक मे पटटा जारी कर दिया। जैसा कि वर्तमान जमाबन्दी रिकोर्ड मे जिस भूमि पर पट्टा जारी किया गया है वह गैरमुमकिन पहाड रिकोर्ड में दर्ज है। अगर ग्राम पंचायत वन विभाग की या सिवायचक चारागाह भूमि मे कोई पट्टा दिया जाता है या प्रस्ताव लिया जाता है तो उसके लिये प्रस्ताव लेकर भूमि की किस्म परिवर्तन के लिये जिलाधीश महोदय के लिये भेजा जाता है एवं अनुमति ली जाती है लेकिन ग्राम पंचायत ने ऐसा ना करते हुऐ ग्राम पंचायत के अधिनियमो के खिलाफ जाकर उक्त पट्टा गैरनिगरानीकार संख्या एक के हक में जारी किया जो पट्टा व प्रस्ताव निरस्त किये जाने योग्य है।

पंचायत समिति राजगढ विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत अलेई के जॉच करवाने बाबत उसमें यह पाया गया कि यह पट्टे वन भूमि मे जारी किये गये है जो ग्राम पंचायत के अधिनियमों के खिलाफ है। उक्त पट्टा व प्रस्ताव गैरनिगरानीकार संख्या 02 द्वारा गैरनिगरानीकार संख्या एक के हक में जारी होने की जानकारी जॉच रिपोर्ट के अनुसार हुई जिस कारण यह निगरानी याचिका बिना देरी से पेश है। उक्त जॉच में भारी अनियमितता जॉच

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

अधिकारी द्वारा पाई गई। निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है। राज० पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 (1) मे निगरानी बाबत कोई मियाद प्रावधित नही है उक्त अवैधानिकता की जानकारी होते ही यह निगरानी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि नियमन पट्टा संख्या 589 बुक नम्बर 12 आदेश दिनांक 20.04.2004 प्रस्ताव संख्या 2(1) को अवैध करार दिया जाकर निरस्त किये जाने बाबत आज्ञा सादिर प्रदान करें। निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई। अनिगरानीकारों को नोटिस जारी किया गया। अनिगरानीकार बावजूद विधिवत तामील अनुपस्थित।

वकील निगरानीकार की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अध्ययन व अवलोकन किया गया। वकील निगरानीकार की बहस पर मनन किया गया। वकील निगरानीकार द्वारा मुख्य तर्क किया गया कि विवादित पट्टा साबिक खसरा नंबर 16 व 29 जिसके हाल ख0नं0 113, 114/318 एवं 27 कायम हुए। उक्त विवादित खसरा नंबर हाल जमाबंदी संवत 2071–2075 में गैर मुमकिन पहाड़ के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। गैर मुमकिन पहाड की भूमि पर ग्रा.पं. पट्टा जारी नहीं कर सकती है। ग्रा.पं. अलेई, पंचायत समिति राजगढ़ द्वारा प्राप्त पत्रावली/रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पट्टा जारी करने हेतु की गई पंचों की बैठक की कार्यवाही की विवरण पंजिका का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा सरपंच ग्रा.पं. अलेई की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन कर अनिगरानीकार संख्या 01 को पट्टा जारी किया गया है। उक्त पंचों की बैठक पंजिका में पट्टा जारी करने हेतु किसी भी प्रकार का गैरनिगरानीकार संख्या 01 द्वारा आवासीय पट्टा दिलाने के लिए सरपंच ग्राम पंचायत अलेई को लिखे गए प्रार्थना पत्र आदि का कोई अंकन नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत अलेई द्वारा पट्टा जारी करते समय ना तो किसी प्रकार की आवेदक के संबंध में जानकारी की ना ही जिस भूमि बाबत पट्टा जारी किया गया है उसकी सही वस्तु स्थिति की कोई जानकारी की। अनिगरानीकार संख्या 2 ग्रा.पं. द्वारा अनिगरानीकार संख्या 1 को जारी पट्टा संख्या 589 दिनांक 20.04.2004 के संबंध में ग्राम पंचायत अलेई द्वारा अनिगरानीकार संख्या 1 को पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रस्ताव लिया हो, किसी प्रकार का नोटिस, मौका निरीक्षण व उज्रदारी जारी की हो अथवा प्रस्ताव लिये जाने के पश्चात् ही पट्टा जारी किया हो, अगरानीकार संख्या 2 ने अपने पक्ष में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य/सबूत भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे स्पष्ट है कि अनिगरानीकार संख्या 2 ग्रा.पं. अलेई द्वारा अनिगरानीकार संख्या 1 को जारी पट्टा संख्या 589 दिनांक 20.04.2004 विधिवत एवं नियमानुसार जारी नहीं किया गया है एवं उक्त पट्टा जारी करने में ग्रा.पं. द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम एवं अन्य नियमों का भी उल्लंघन पाया है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा विधिवत नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.04.2004 में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित है। निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अनिगरानीकार संख्या 02 (ग्राम पंचायत अलेई) द्वारा जारी पट्टा संख्या 589 आदेश दिनांक 20.04.2004 को गिर्राज प्रसाद पुत्र श्री श्रवण सिंह निवासी श्रीनगर को जारी पट्टा निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार प्रशासन (द्वितीय) अलवर